

मदन मोहन मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर

दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र

01. विद्यालय/संस्था का नाम/पता .....
02. शिक्षा सत्र .....
03. छात्र / छात्रा का पूरा नाम .....
04. जन्म तिथि .....
05. हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष ..... बोर्ड ..... अनुक्रमांक .....
06. लिंग (पुरुष / स्त्री) .....
07. पिता का नाम व व्यवसाय .....
08. माता का नाम व व्यवसाय .....
09. विधिक अभिभावक का नाम व व्यवसाय .....
- (यदि माता पिता से भिन्न हो)
10. श्रेणी ..... उप जाति ..... धर्म .....
- (1. सामान्य 2. अनुसूचित जाति 3. अनुसूचित जनजाति 4 अन्य पिछड़ा वर्ग 5. अल्पसंख्यक)
11. पूरा स्थायी पता .....
12. पत्र व्यवहार का पूरा पता .....
13. कक्षा / पाठ्यक्रम का पूरा नाम .....
14. पाठ्यक्रम की अवधि .....
15. कक्षा / पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि .....
16. वर्तमान वर्ष में छात्र/छात्रा के पाठ्यक्रम का वर्ष ..... प्रवेश तिथि .....
17. कक्षा में प्रवेश का प्रकार (नियमित सीट/स्ववित्त पोषित सीट) .....
18. माता/पिता/पति की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ..... आय प्रमाण पत्र संख्या .....
- (यदि माता/पिता जीवित न हो तो विधिक अभिभावक की वार्षिक आय)
19. आवासीय छात्र/दिव्या छात्र (उल्लेख करें) .....
20. छात्र के बैंक का नाम ..... शाखा का नाम .....
- खाता संख्या ..... (जनपद के बाहर के खाते अनुमन्य नहीं)
21. पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति की धनराशि (अंकों में) ..... (शब्दों में) .....
22. पाठ्यक्रम हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदित वार्षिक नान रिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क धनराशि (अंकों में) .....
- (शब्दों में) .....
- (यदि पूर्व में वर्तमान अध्ययन अवधि में कोई अन्तराल/व्यवधान (गैप) हो तो उसका पूर्ण विवरण शपथ पत्र में संलग्न करें।)

विद्यालय/संस्थान  
द्वारा प्रमाणित  
फोटो चिपकाएं

घोषणा - पत्र

हम घोषित करते हैं कि उपरोक्त सूचनायें सही हैं। मुझे अन्य किसी स्रोत से दूसरी छात्रवृत्तियाँ प्राप्त नहीं हो रही हैं तथा मैं कहीं भी सेवारत नहीं हूँ।

यदि कोई सूचना एवं संलग्न आय व जाति प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्ण पायी जाय तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की सम्पूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित वापस कर दूंगा/दूँगी एवं विभाग मेरे खिलाफ समुचित विधिक कार्यवाही के लिये स्वतंत्र होगा।

माता/पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

(माता/पिता की मृत्यु की दशा में विधिक रूप से घोषित अभिभावक)

उपरोक्त सूचनाओं का सत्यापन संस्थान स्तर पर कर लिया गया है।

प्रधानाचार्य / नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर